

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

सीमाना

ग्राम हंजापुर के खाता नं 12, 13, 14 में रमणी का नाम रमणी
मौली दल रखा है जबकी मन्थ देलपुर में रमणी का नाम
रमणी है तथा ग्राम लेदिया के खाते की सिमरिस में
नाम रमणी के खाता नं 12, 13, 14 में रमणी का नाम रमणी
हंजापुर
बनाय रामलाल कुश मौली दल सिमरिस की सिमरिस की मौली
नां 37 दि 24.1.85 में रामलाल की बनाय हुआ
सख्त रमणी का कर डिमाग था

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

सीमाना

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हवा लेखिया नुं क कि शां सुगांव के अनुसार
ग्राम हंजापुर में नां सं 37 दि 24.1.85 को मौली हठाक के वादितान में
रामलाल के खाते पर रमणी गलत दर्ज हो गया था। शां पंचायत
समिति के उपाध्यक्ष के श्रेव पहचान पत्र श्रेव काधार नॉड के अनुसार
रमणी के खाते पर रामलाल नाम सुद्ध है। तथा जमाने की
खाता नं 12, 13, 14 में रमणी के खाते पर रामलाल सुद्ध
निय जाका उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.नि.)
सपोटरा जिला-करौली

आदेश

रिपोर्ट पटवारी, 942, तहसीलदार सपोटरा एवं पुस्तुत डेप्युटी
के अध्यापक उपाध्यक्ष मौली दल किम जगत है रमणी के
पुस्तुत जारी है। पत्रावली के लाले सुमा देवन मन्थ देलपुर

पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा, जिला-करौली (राज०)

उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प सपोटरा
जलोक् सैदा

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लेखि व भूअ.नि. लेखि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोटरा / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत में ग्राम हंजापुर तहसील सपोटरा व जिला जलोक् की जमाबन्दी नम्बर 2513-76 में खाता संख्या 12113114 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>हंजापुर</u>	<u>12113114</u>	<u>ठंजी, कलुडना, रम्मी, पिठमोटी, गार्हिकी, सठ हंजापुर</u>	<u>ठंजी, कलुडना, रामलाल, पिठमोटी, गार्हिकी, सठ हंजापुर</u>

Diya
पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत अधिकारी द्वारा
सपोटरा, जलोक् सैदा (जलोक्)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,
दिनांक:- 24/5/17

नांक:- सपोटरा/2017/74-76

तैलिपि:-

1. तहसीलदार सपोटरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री समस्याक 56 मोती 2105 सठ हंजापुर को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

Diya
पीठासीन अधिकारी
पीठासीन अदालत (SDM)
राजस्व लोक अदालत अधिकारी एवं
सपोटरा, जलोक् सैदा (जलोक्)